2016/00083

(28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

नागवेन्द्र / हुकमसिंह

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 37 / 2016

1–नागवेन्द्रसिंह उर्फ शनी पुत्रश्री सत्येन्द्र उम्र 14 वर्ष नावालिग व सरपरस्ती मां मन्जू पत्नी सत्येन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों ———सायल

बनाम

1–हुकमसिंह पुत्रश्री लालसिंह
2–सत्येन्द्रसिंह पुत्रश्री हुकमसिंह
जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
–गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति–1–श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट – सायल
2–श्री रामअवतार गौड एडवोकट – गैरसायलान
3–श्री प्रताप, संजीव, रमाकांत व सरूपे– प्रतिवादीगण
4–श्री सतीशचन्द्र – केता विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक: 19.6.2017

सायल की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0एक्ट वावत् अस्थाई निषेधाज्ञा बिरूद्व गैरसायलान पारिवारिक सिजरा अंकित करते हुए इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 2108, 2109, 345 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ सायल की संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदाय पैत्रिक सम्पत्ति जिसमें सायल को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल है । आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 2108, 2109, में 1 / 20 भाग एवं आराजी खसरा नम्बर 345 में 1 / 12 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । अब सायल के बाबा के मन में बदनीयती आ गई है, विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहता है, जिसका उन्हें अधिकार नही है । प्रकरण प्रस्तुत करने से 15 दिवस पूर्व गैरसायल संख्या 1 सायल के अधिकारों से इंकारी हुआ तथा सायल को ऐलानियां धमकी दी कि वह सायल को काश्त नही करने देगा । सायल ने विवादित आराजी का बटवारा कराने को कहा तो वह इंकारी हो गये । इसलिए सायल को आवश्यक हो गया कि वह

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत .....

न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों की घोषणा करावें तथा गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करावें । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को ताफैसला मूल वाद तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें एवं भूमि को रहन बय मुंतकिल नहीं करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान /प्रतिवादीगण को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादीगण प्रताप, संजीव, रमाकांत व सरूपी, उपस्थित आये । प्रतिवादीगण के साथ ही विवादित आराजी का केता श्री सतीशचन्द पुत्रश्री जगन्नाथ जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील उपस्थित आया । केता सतीश द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय फोटो प्रति वयनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि सायल अथवा गैरसायलान ने साज कर विवादित आराजी को पुश्तैनी बताकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 2108, 2109, 345, स्थित ग्राम तसीमों कुशवाह की भूमि थी । कथित विवादित आराजी में से मुझ प्रार्थी ने दिनांक 10.8.2016 को खातेदार काश्तकार प्रतापसिंह, बबलू, चन्द्रवती, भगवानसिंह, सरूपी, रामबृज, संजीब, रमाकान्त, जाति कुशवाह निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ से आराजी खसरा नम्बर 349, 2108, 2109, 345, वाके ग्राम तसीमों उनके हिस्से की भूमि कय की है । कय की गई भूमि का नामा0 नहीं हुआ है जिसे रूकवाने के लिए यह झूंठा दावा प्रस्तुंत किया है । अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुझ प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया है और ना ही मुझ केता से पूर्व जो प्रतापसिंह वगैरा खातेदार काश्तकार है उन्हें पक्षकार बनाया है । श्रीमान जी सायल अथवा गैरसायलान के हिस्से पर ही स्थगन आदेश जारी किया जावे । अगर मेरे हिस्से पर स्थगन आदेश जारी किया गया तो मुझे अपूर्तनीय क्षति होगी । सायल का प्रार्थना पत्र षडयंत्र पूर्वक प्रस्तुत है उसे खारिज किया जावे। दौराने कार्यवाही गैरसायलान की ओर से श्री रामअवतार गौड एडवोकेट उपस्थित आये और आगामी तारीख पेशी पर वकालतनामा प्रस्तुत करने का निवेदन किया। साथ ही गैरसायल संख्या 2 भी उपस्थित आये ।

कैम्प में उपस्थित पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकगण को सुना । विद्वान अभिभाषक सायल एवं गैरसायलान की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक श्री रामअवतार गौड ने सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का का निवेदन किया । साथ ही गैरसायल संख्या 2 ने भी सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण एवं विवादित आराजी के केता सतीश ने आपत्ति कर निवेदन किया कि यह आपस में साज किये हुए है जो कय की गई भूमि के नामान्तकरण को रूकवाना चाहते है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण एवं पक्षकारों के कथनो पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के सायल एंव गैरसायलान विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत .....

जारी कराये जाने पर एकमत है । अब यह देखा जाना है कि विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से प्रतिवादीगण एवं केता सतीश के अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा ? सायल द्वारा अपने बाबा श्री हुकमसिंह पुत्रश्री लालसिंह के नाम दर्ज आराजी में से अपना हिस्सा चाहा गया है अन्य प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 विवादित आराजी में 1/2 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड है । प्रतिवीदगण सायल व गैरसायलान के परिवार के सदस्य नहीं है तथा उनकी जाति भी भिन्न है । उक्त प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 349, 2108, 2109 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ में से अपने हिस्से की आराजी केता श्री सतीश को बेचान कर दी है । केता एवं प्रतिवादीगण का यही कथन है कि बेचान की गई भूमि का नामा0 नहीं हो सके इसके लिए ही सायल अथवा गैरसायलान ने साज कर तथ्यों को छुपाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञ प्राप्त की है । विद्वान अभिभाषक गैरसायलान एवं गैरसायल संख्या 2 द्वारा सायल के पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सहमति दिया जाना तथा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट में अन्य प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया जाना प्रतिवादीगण एवं केता के कथनों की पुष्टि करता है । प्रार्थना पत्र में वाद कारण भी गैरसायल संख्या 1 का ही अंकित किया गया है जबकि साथ में गैरसायल संख्या 2 को पक्षकार किस कारण बनाया गया है उसका भी उल्लेख नहीं है । सायल द्वारा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 एवं केता के विरुद्ध कोई अनुंतोष भी नहीं चाहा गया है । प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज है तथा सतीश विवादित आराजी का सदभावी केता है । प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा संतुलन उनके स्वामित्व के हिस्से की भूमि तक उनके पक्ष में प्रमाणित है । ऐसी स्थिति में उनके हिस्से में दर्ज भूमि पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । चूंकि गैरसायल नाबालिग है उसके हितों की रक्षार्थ गैरसायल संख्या 1 को भूमि का बेचान किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञ से पांवद किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र सायल आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 श्री हुकमसिंह पुत्रश्री लालसिंह को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 2108, 2109, 345 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ को किसी प्रकार से रहन बय मुंतकिल नहीं करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का शेष प्रतिवादीगण (खातेदार एवं केता) पर कोई प्रभाव नही होगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पदेन अधिकारी अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ......